>

Title:Discussion on the motion for consideration of the Constitution (Amendment) Bill, 2004 (Insertion of new article 16 A) by Shri Mohan Singh (Discussion Not Concluded).

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव* करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदय, एक विधेयक श्री चंद्रकांत खैरे जी ने सदन के सामने प्रस्तुत किया था, जो बेरोजगार नौजवानों की बेरोजगारी को खत्म करने के संबंध में था। ठीक उसी से मिलता-जुलता एक विधेयक मैं प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो भारत के संविधान के मौलिक अधिकार के अनुच्छेद में रोजगार के अधिकार की गारंटी के संबंध में हैं। 16क राज्य प्रत्येक समर्थ नागरिक, जिसने 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है, को लाभप्रद रोजगार प्रदान करेगा। भारत में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या के रूप में उभर रही है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सभी को रोजगार देने से संबंधित उपबंधों को तब तक पूरा नहीं किया जा सकता, जब तक इसे नागरिकों का मौलिक अधिकार न बना दिया जाए। भारत में ज्ञात बेरोजगारों की संख्या चार करोड़ से अधिक है। लेकिन राज्य प्रशासन को इन बेरोजगार युवाओं के बारे में कोई चिंता नहीं है, जिसके कारण उनमें आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है और वे हर दूसरे दिन या तो आत्महत्या कर रहे हैं या आपराधिक गतिविधियों में लिप्त हो रहे हैं। फिरौती के लिए अपहरण की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। जब तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक सामाजिक समानता को साकार करना कठिन है। ऐसी स्थिति में राज्य को अपने प्रशासन को मितव्ययी बनाना चाहिए और इस प्रकार बचाये गये धन को बेरोजगारी भत्ते के रूप में वितरित किया जाना चाहिए, ताकि युवाओं को रचनात्मक कार्यों में शामिल किया जा सके। भारत के संविधान को ठीक से पढ़ा जाए तो एक तरफ जहां हमारे मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद है, वही दूसरी तरफ राज्यों के नीति निर्देशक तत्व भी हैं और हमारे देश के राज्य प्रशासन की सारी नीतियां नीति निर्देशक तत्वों के तहत संचालित होनी चाहिए। ऐसी संविधान निर्माताओं ने अपनी मंशा व्यक्त की थी और उन्होंने उसमें क्या कहा - जो भारतीय संविधान की धारा 39 है[b79]।

> "Citizen, men and women equally, have the right to adequate means of livelihood."

---

* Moved with the Recommendation of the President

प्रत्येक नागरिक जो पुरुष हो या स्त्री हो, उनकी जीविका का सम्पूर्ण साधन मुहैया करना यह राज्य का कर्तव्य होगा और उसी के आगे दूसरी बात कही गई कि

> "The ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to be subserve the common good."

जो हमारे संसाधन होंगे, इनका उपयोग हम इस रूप में करेंगे कि सभी को समान रूप से साधन मुहैया हो सकें।

> "The operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment."

हम इस रूप में इस देश को संचालित करें कि धन का संग्रह कुछ खास हाथों में नहीं हो सके, समान रूप से उसका वितरण हो सके कि किस तरह का समाज हमारे देश में बन रहा है।

हमारे देश की आबादी बढ़ रही है। तकरीबन दो फीसदी के हिसाब से यह रफ्तार दो से कम हो गई लेकिन हमारे देश में जो सम्पूर्ण साधन लगाकर रोजगार के अवसर हम मुहैया कर रहे हैं, उसकी वृद्धि डेढ़ फीसदी के आसपास है। यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस देश में बनने जा रही है। कुछ दिन पहले इस देश के एक प्रमुख समाचार पत्र ने खबर छापी कि इस देश में 82 करोड़ लोग ऐसे हैं जो केवल बीस रुपये रोजाना पर अपनी जिंदगी गुजर-बसर करते हैं। क्या हम इस तरह का हिन्दुस्तान बनाने जा रहे हैं जो केवल 20-22 करोड़ लोगों के लिए होगा जिनके पास ही सारे संसाधन रहेंगे और बाकी लोग साधन विहीन होंगे? यदि इस तरह का हिन्दुस्तान हम बनाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं कि हमारी आजादी के जो 60 वर्ष बीते हैं, उसके अनुरूप इस काम को नहीं करना चाहते हैं। हमारे देश में जो रोजगार का सृजन है, सार्वजनिक क्षेत्र में वह घटकर एक प्रतिशत से नीचे हो गया है। वह 0.80 रोजगार का सृजन हमारे सार्वजनिक क्षेत्र में हो रहा है। रोजगार सृजन की सबसे बड़ी संभावनाएं सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं। प्राइवेट सैक्टर में थोड़ा-बहुत रोजगार बढ़ा। आज से दस साल पहले 0.44 फीसदी निजी क्षेत्र में रोजगार में वृद्धि हो रही थी। आज 010961 फीसदी मामूली सी वृद्धि हुई। लेकिन जो हमारे देश का संगठित क्षेत्र है, उससे रोजगार के सारे अवसर कम हो रहे हैं। आज से दस साल पहले 1.2 फीसदी के हिसाब से जो संगठित क्षेत्र था, उसमें रोजगार बढ़ा। लेकिन अब उसमें रोजगार का सृजन 0.38 फीसदी होगा। हम कहां से लोगों को रोजगार दे सकते हैं? यदि रोजगार मिल भी रहा है तो वह अर्ध रोजगार है। हमारी जीविका के लायक नहीं है। हम एक सुंदर जीवन जीने की जो कल्पना करते हैं, दुनिया में मानवीय गुणवत्ता के हिसाब से हमारे देश का स्थान 127वां हो गया है। इसका मतलब जो सुख-सुविधाओं की बुनियादी जरुरतें हैं, हमारे देश के लोगों को व्यापक पैमाने पर मुहैया नहीं हो रही है। इसीलिए

क्वालिटी ऑफ लाइफ को जीने भर का रोजगार देना यह राज्य का दायित्व है। इसीलिए हमने इस बात की कोशिश की है कि यदि हमारे देश के जो बुनियादी अधिकार हैं, उसके खाने में रोजगार के अधिकार को सम्मिलित कर लिया जाए तो यह देश चलाने वालों की जिम्मेवारी हो जाएगी और यदि रोजगार मुहैया नहीं करते हैं तो हमें सुंदर जीवन जीने भर का एक बेरोजगारी भत्ता मिले, यह प्रावधान करने के लिए हमने संवैधानिक विधेयक प्रस्तुत किया है। मैं उम्मीद करूंगा कि इसे सभी सम्मानित सदस्यों का समर्थन मिलेगा और भारत सरकार उसे स्वीकार करके अलग से एक संवैधानिक संशोधन लाएगी जिससे रोजगार की गारंटी का अधिकार भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो बुनियादी अधिकार का अनुच्छेद है, उसमें सम्मिलित कर लिया जाए।

"Equal pay for equal work for both men and women."

MR.CHAIRMAN :Motion moved:

"That the Bill further to amend the Constitution of Indian be taken into consideration."

SHRI FRANCIS FANTHOME (NOMINATED): Thank you, hon. Chairman, Sir. May I commend Shri Mohan Singh for his extremely important piece of legislation that he would like to see this House appear for the benefit of the Nation?

We are all aware that the youth today faces a grave situation in terms of its education not being relevant to the opportunities that the child may have in terms of his growth. Sir, the paradox is that while the Ministry of Human Resource develops the curriculum and the desire in the youth of this nation, the desire to know, it is left to the Ministry of Labour to see that these young people acquire the capability to do. It is surprising that the Ministry of Human Resource is not present on such an important discussion that affects the youth of this country. What gets further compounded is that the Ministry of Commerce and the Ministry of Industry bring to this nation limitless possibilities that this nation has in terms of its position as a global nation, in terms of the opportunities that the universe today provides us. And, it is this mis-match, between the responsibilities that various segments of the Government have in shaping the destiny of the youth of this nation, in terms of capability, in terms of employability, in terms of the skills that are required, which has led to the situation that now prevails. Perhaps, if we do not remedy this situation and leave it to segmental solutions, to complexities of the solutions that the people require, we will continue to have this debate.

It is timely that Shri Mohan Singh has brought in an element that maybe, in a way inadvertently enables the Government to try and find the solution. If we give an Unemployment Allowance, there will definitely be an impetus on Government to find a solution to the mis-matches that are prevailing. But I would definitely like to commend the hon. Minister for Labour who has taken enormous time first to discuss the whole issue of self-employment and now to discuss the matter that relates to employability, the employment of the youth of this country.

Sir, as a person who has been committed to young people, as a person who has spent more than three decades in the field of education, let me tell you that the problem lies perhaps in the educational system. Gandhiji, more than five decades back, had very succinctly pointed out that there needs to be an element of skill cultivation in young people together with the education they get in our schools. For some reason, we found that perhaps that was too primitive in its construct. We did not look at it in terms of its holistic solution and today we have educated unemployable young people.

So, I would like to mention, would like to emphasise and I know that the Knowledge Commission as well as the NCERT have begun to look at the possibility of making this purely academic schooling system and the educational opportunities to blend them with mechanisms that will build in skills and competencies together with the acquisition of instructions or you can call it knowledge. I do not think they really get knowledge. They just get some sort of information which they seemingly say, 'consequently they are educated'.

But if we look at what the aspirations the young people have for this great nation, the responsibilities they have to take this nation forward, I do think that we need to understand a holistic commitment. And, therefore, the need for the Ministry of Labour, the Ministry of Human Resource as well as the Ministry of Industry and Commerce working together on a common endeavour that creates the platforms that will give not only a momentum to the opportunities of our people but will also give a very focused delivery.[R80]

Since the hon. Minister is here, what I would like to suggest is that there needs to be an understanding and a mapping of what are the basic generic skills that are required for young people and how they can be integrated into the curriculum system that we have. Those should be basic to the opportunities and in terms of schooling that prevails. From there, we will begin to understand what it is to be on a hands on process that will enable competencies and capabilities to

develop.

Why I am saying this is that somehow because of this streaming between vocationalisation of education and the academic orientations that some, perhaps more privileged of the nation has, there seems to be some denigration in the minds of a lot of people that vocationalisation of education is perhaps not the way to go. Therefore, self-employment and the employability at early age is perhaps not the way forward. But I would like to say that if we blend these two platforms and create a commonality that there is going to be a certain basic attitude to labour and attitude to understand that working with your hands is not a diminishing thing and that the mind is not the only delivery mechanism that enables possibilities to prevail. It is there that we will begin to build a nation that we would like for ourselves and translate the vision of Mahatma Gandhi into a realisation that this nation would like to have. Therefore, may I say that while we are looking at what Shri Mohan Singh has very ably put forth and which I support, that we provide a certain basic strength that when one attains the age of 18, you get the education that you want and then from there if you do not get a job, you will, at least, get a certain basic support from the State.

Let me also mention to the Minister that with the Sarva Shiksha Abhiyan unfolding itself, we are wanting about 95 per cent of our nation's children in schools. We have already had about 7 years of the Sarva Shiksha Abhiyan. We are also going to see that the secondary level is now a comprehensive opportunity for our young people. With this kind of platform and more of the same happening, we will find that problem of unemployable educated young people is going to compound itself. Therefore, there is need to be a solution immediately as to what these young people are going to have when they enter the possibilities that this nation would like to provide.

So I would like to leave the hon. Minister with the thought that there needs to be a blending, and there needs to be a certain understanding. If we want all our youth educated, we must assure them that we will provide them with the rightful opportunities.

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक 2004 का पुरज़ोर समर्थन करता हूँ। इस विधेयक में उन्होंने काम के अधिकार को संविधान के मूल अधिकारों में शामिल करने की बात कही है और यदि काम नहीं मिले तो बेरोज़गारी भत्ता देने का प्रावधान भी इसमें किया गया है। मैं इसका पुरजोर समर्थन करना चाहूँगा। मान्यवर, आज के नौजवानों के बारे में यदि यह कहूँ कि -

" निकले हैं कहां जाने के लिए, पहुँचेंगे कहां यह मालूम नहीं,

इन राह में भटकने वालों को मंज़िल की दिशा मालूम नहीं। "[H81]

[r82]

जिस प्रकार की शिक्षा दी जा रही है, निरूद्देश्य शिक्षा, कोरी सैद्धांतिक शिक्षा, आखिर आगे जाकर जब एजुकेशन के बारे में हम कहते हैं, what is education? Education is an all-round, integrated and well balanced development of the personality of the child. बालक के व्यक्तित्व का समग्र, सर्वांगीण और संतुलित विकास का नाम शिक्षा है। हमारे स्कूलों और कालेजों की शिक्षा की तरफ ध्यान दें। आप इंजीनियरिंग कालेज, मेडिकल कॉलेज, आईआईटी या आईआईएम की बात छोड़ दीजिए, लेकिन सामान्य स्कूल और कालेजों की तरफ ध्यान दें। एक छोटा सा उदाहरण है, मैंने एक बच्चे को पूछा कि क्या कर रहे हो, उसने कहा मैं एमपी हो गया हूं। मैंने कहा आप और एमपी? एमपी तो मैम्बर ऑफ पार्लियामेंट होता है, उसने कहा मैं मैट्रिक पास हो गया हूं। मैंने कहा अच्छा है, आप कौन सी डिवीजन से हुए हैं? उसने कहा आप डिवीजन नहीं जानते हैं, रॉयल डिवीजन। मैंने कहा रॉयल डिवीजन कौन सा है, उसने कहा फर्स्ट डिवीजन विद टू बॉडी गॉर्ड्स। बात हंसने की है लेकिन अगर हम गंभीरता से चिंतन करें तो यह थर्ड डिवीजन है, थर्ड डिवीजन सप्लीमेंटरी प्रमोटिड या पास बाए ग्रेस। मैंने कॉलेज में पढ़ने वाले नौजवान को पूछा कि नो नॉलेज विदाउट कॉलेज, क्यों पढ़ रहे हो? उसने कहा घर वाले पढ़ा रहे हैं, इसलिए पढ़ रहा हूं। केवल नौकरी प्राप्त नहीं होती है इसलिए वह बालक बिना उद्देश्य की शिक्षा प्राप्त करते हुए चला जाता है और जब बीए या बीकॉम की डिग्री आती है या डॉक्टर, इंजीनियर की डिग्री लेकर निकलता है तो चौराहे पर खड़ा होता है जहां चारों ओर अंधकार दिखाई देता है। जो शिक्षा प्रदान करते हैं, वह शिक्षा चरित्र निर्माण, सदाचार या देशभक्ति की शिक्षा हो, कुछ करने की तमन्ना हो, स्वावलंबन की शिक्षा हो तब तो कोई बात है कि नौजवानों और विद्यार्थियों में भावना पैदा हुई कि "खुद को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है" लेकिन आज हर आदमी पढ़-लिख कर पंखे की हवा खाना चाहता है, नौकरी प्राप्त करना चाहता है और येन-केन-प्राकारेण वह एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के चक्कर काटता रहता है। परिणामस्वरूप यह बेकारी की समस्या आजादी के बाद दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है, जैसे कहावत है कि ज्यों-जों दवा की, मर्ज बढ़ता गया। जैसे-जैसे हम इसका उपाय सोचने लगे, वैसे-वैसे बीमारी बढ़ती चली गई। चाहे ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में हो, चाहे गांव के लोग शहर में आएं या शहर में स्लम्स में रहने वाले लोग हों। जब नौजवान देखता है कि पढ़ने-लिखने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो आपने उद्देश्य के अंदर ठीक कहा, आपने जो उद्देश्यों के बारे में कथन किया कि वह अपराधिक तत्व बन जाता है। हम उन कुल किताबों को काबिले जप्ती समझते हैं, जिन्हें पढ़ कर बेटे बाप को खपती समझते हैं। ऐसी मूल्यविहीन शिक्षा और परिणामस्वरूप वह समाज का, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है समाज, राष्ट्र, अपने लिए, अपने परिवार और अपने माता-पिता के लिए हमें कुछ करना है। देश का नाम रोशन करना है। जिस उम्र में उसे कालेज में चहकना एवं महकना चाहिए, पढ़-लिख कर, योग्य बन कर, संस्कारिक बन कर, उस उम्र में वह चहकने और महकने के स्थान पर बहक रहा है और बहकने के कारण वह उस विश्वविद्यालय में तोड़-फोड़ करने पर, गुरूजनों की बेइज्जती करने पर उतारू हो जाता है। हड़ताल करने पर युवा शक्तियों का एक्सप्लायटेशन होता है, परिणामस्वरूप बेकारी ऐसे बढ़ती चली गई, जैसे रामचरित मानस में एक कथा आती है, हनुमान जी जब समुद्र को पार करना चाहते थे तो सुरसा परीक्षा लेने के लिए आई। यह पौराणिक कथा है। यहां तुलसी दास जी लिखते हैं - "जस-जस सुरसा बदनुं बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा "। जैसे-जैसे सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए मुंह फैलाया, वैसे-वैसे हनुमान जी दुगने हो गए। इस तरह उसमें वर्णन आता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि बेकारी दिन दूनी और रात चौगुनी होती जा रही है। सरकार ज्यों-ज्यों उपाय करती गई, त्यों-त्यों और भी बेकारी बढ़ती गई। आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपने चार करोड़ की संख्या बताई है, ये चार करोड़ की संख्या वह होगी, जिनका नाम

एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में दर्ज है, लेकिन गांवों के अंदर जो बेरोजगार नौजवान बैठे हुए हैं, हम गांवों के अंदर जाते हैं वहां नौजवान ताश खेलते हुए मिलते हैं। हम उन्हें कहते हैं कि आप लोग बीए कर रहे थे, उसका क्या हुआ तो वे कहते हैं कि कोई नौकरी नहीं मिलती है क्या करें।[rep83]

महोदय, जब नौकरी नहीं मिलती है, तो फिर वे प्रयास करते हैं कि जैसे-तैसे कुछ भी काम करने को मिल जाए, उसे करते हैं। सही काम तो तब होगा जब loyal to profession, dedication and devotion होगा। ये तीन चीजें उसमें रोजगार या व्यवसाय के प्रति होंगी, तब तो नौजवान दिल लगा कर काम करेगा। लेकिन जब उसकी इच्छा के विपरीत, जबर्दस्ती, मान न मान मैं तेरा मेहमान वाली बात होगी। अगर वह नौकरी पर लग भी गया, तो वह वहां क्या निहाल करेगा। उसकी इच्छा के विपरीत जब नौकरी होगी, तो वह क्या हाल करेगा, इसकी हम स्वयं कल्पना कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बिल का समर्थन करना चाहूंगा।

महोदय, आज देश में उग्रवाद, आतंकवाद और नक्सलवाद बढ़ रहा है। बिना कुछ किए हुए शॉर्टकट मैथोड से सब कुछ प्राप्त हो जाए, ऐसा चल रहा है। इसका कारण जैसा मैंने कहा कि मूल्य-विहीन शिक्षा है। अगर उसे यह शिक्षा दी जाती कि जैसी होगी दृष्टि वैसी करेगा सृष्टि, जैसी प्राप्त होगी शिक्षा, वैसी प्राप्त होगी दीक्षा और जैसा होगा विचार, वैसा बनेगा आचार। उसका चाल-चलन विचारों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे साहित्य का अध्ययन करेगा, उसके अनुसार उसके विचारों को पुष्टता मिलेगी। लेकिन जब वह देश में बेरोजगारी की स्थिति देखता है, तो वह एकदम एके-47 लेकर, अपने ही लोगों को मौत के घाट उतारने के लिए तैयार हो जाता है और बैंक में डाका डालने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे कुछ पैसा मिल जाएं, लेकिन वह जेल चला जाता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से और माननीय मंत्री, श्री ऑस्कर फर्नांडीस साहब से प्रार्थना करना चाहूंगा कि जो भी सरकारें आई, उन्होंने आश्वासन भी खूब दिए, प्रयास भी बहुत हुए, 60 साल आजादी के हो गए। उसके बाद भी जो स्थिति है, वह हमारे सामने है। हम इस सच्चाई से आंख नहीं मूंद सकते कि कभी गरीबी हटाओ का नारा लगा, कभी युवाओं को रोजगार देने का नारा लगा, कभी नारा लगा कि हम बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, वोकेशनल एजूकेशन देंगे, लेकिन इन सबके नारे ही लगते रहे और ऐसा कुछ नहीं हुआ, जिससे युवाओं को रोजगार मिले।

महोदय, मैं वोकेशनल एजूकेशन की स्थिति से परिचित हूँ मैं सीनियर सैकेंड्री स्कूल का शिक्षक रहा हूं। थर्ड ग्रेड, सैकिंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड लैक्चरर रहा हूं। मास्टर, लैक्चरर, प्रिंसीपल रहा हूं। मुझे स्टेट एवॉर्ड मिला है। सब कुछ मैंने देखा है। मैंने देखा है कि वोकेशनल एजूकेशन की जैसी दुर्गति है वैसी किसी और की नहीं है। व्यावसायिक शिक्षा स्कूल में पढ़ने पर तो मिलती नहीं है। लोग देखते हैं कि डिवीजन तो उनका जुड़ेगा, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। बाद में वे आई.टी.आई., इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलीटैक्निक कॉलेज में जाते हैं। फिर जैसे-तैसे कर के वे सीखते हैं, लेकिन उसमें दक्षता नहीं आ पाती है। इसलिए मैं मोहन सिंह जी द्वारा प्रस्तुत इस बात का पुरजोर समर्थन करता हूं। हमारे संविधान के अंदर नीति-निर्देशक सिद्धान्तों की दुर्गति तो हमने अभी तक देख ली। संविधान के नीति-निर्देशक तत्वों में, चाहे वह राजभाषा हिन्दी को लागू करने की बात हो, चाहे देश में नशाखोरी बन्द करने की बात हो और चाहे शिक्षा के प्रचार-प्रसार की बात हो, उनकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है। इसलिए संविधान के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकार हैं, जैसे देश में कहीं भी काम का अधिकार है, जैसे शिक्षा का अधिकार है, वैसे ही काम देने का अधिकार भी मौलिक अधिकार होना चाहिए। नौजवानों को उनकी योग्यता, उनकी प्रवृत्ति, उनके एटीट्यूड के अनुसार चैनेलाइज कर के उन्हें काम मिलना चाहिए। अगर काम नहीं मिलता है, तो जब तक काम नहीं मिले, तब तक बेकारी भत्ता दिया जाना चाहिए अन्यथा एम्पटी माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप। खाली दिमाग शैतान का घर वाली उक्ति चरितार्थ होती है। इसलिए कहना तो आसान है, लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है।

महोदय, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। हमने प्रधान मंत्री रोजगार योजना प्रारम्भ की। इसमें हम बैंकों से युवाओं को अपना काम-धंधा करने के लिए लोन देते हैं। हम स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना की बैठकों में जाते हैं और वहां देखते हैं कि इतने लोगों का चयन हुआ और उद्योग अधिकारी भी चयन कर के भेज देता है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अन्तर्गत जो ट्रेनिंग कराने वाला संस्थान है, वह ट्रेनिंग भी दे देता है, लेकिन बाद में नौजवान बैंकों के चक्कर काटते रहते हैं। वे चक्कर काटते-काटते इतने निराश और हताश हो जाते हैं कि न तो उन्हें बैंकों का लोन मिलता है और न वे कोई और काम कर पाते हैं, क्योंकि बैंकों में तो कमीशन या चैक या जैक अथवा रिश्वत जब तक नहीं दी जाती है, तब तक वह नौजवान कुछ प्राप्त नहीं कर पाता है। यह हकीकत है।

मान्यवर, मैं कनक्लूड कर रहा हूं। मैं निष्कर्ष की ओर जा रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान को यदि नौकरी नहीं मिली, तो स्वरोजगार वाली बात जो पहले चल रही थी, सैल्फ एम्पलायमेंट, खुद अपना धंधा करें, यह होना चाहिए। वह खुद अपना धंधा कब करेगा, तब करेगा, जब अपना हाथ जगन्नाथ होगा। लेबर इज विक्टरी, श्रम की विजय होती है। नौजवान अपने हाथ से कुआं खोदकर पानी पीने को तैयार होगा। ऐसे संस्कार यदि हम नौजवानों को देंगे, तो वह लोन लेकर अपना धंधा शुरू करेगा और तब वह सब्जी का ठेला लगाने में भी शर्म महसूस नहीं करेगा। खून का पसीना करने में शर्म महसूस नहीं करेगा। पंखे की हवा नहीं चाहेगा। स्वरोजगार गारंटी योजना के अन्दर यदि सड़क पर भी काम करना पड़े, तो वह काम करने के लिए तैयार रहेगा।[r84] [r85]

हमारा नौजवान ऐसे कार्यों के प्रति तभी आकर्षित होगा, जब हम उसे मूल्य आधारित शिक्षा प्रदान करेंगे, जब उसको स्वावलंबन की शिक्षा प्रदान करेंगे, जब उसको अपने पैरों पर खड़ा होने की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि बेरोजगारी के भूत को भगाने के लिए प्रभावकारी उपाय बरतने चाहिए। आपने जो सुझाव दिया कि संविधान का मौलिक अधिकार इसे बना दिया जाए। हमारी राजस्थान की सरकार ने बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया है। सरकार ने भी नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देना शुरू किया था। आशा तो बंधी है, लेकिन केवल भत्ता देने से ही काम नहीं चलेगा, हमें रोजगार के अवसर पैदा करने होंगे। उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए निजी क्षेत्र में उनकी भागीदारी तय करनी होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): महोदय, मोहन सिंह जी के द्वारा लाए गए राइट टू इम्पलायमेंट बिल का मैं समर्थन करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बिल है। मैं इस संबंध में एक कहानी सुनाना चाहता हूं। आप जानते ही हैं कि जब घर में बच्चा पैदा होता है तो उसकी मां, बाप, दादी, नानी सभी खुशियां मनाते हैं। उसके बाद उसके पालन-पोषण पर अपनी सारी सम्पति लुटा देते हैं। अपने मुंह का निवाला, अपना प्रोटीन और कैलोरी उसको दे देते हैं। उस बच्चे को अपनी कण्डीशन के अनुसार क्वालीटेटिव एजुकेशन दिलाते हैं। जब बच्चा स्कूल से आता है, तो मां उसके सिर पर हाथ लगाकर प्यार से खाना सुबह और शाम को खिलाती है। एक दिन आता है, जब बच्चा एजुकेटिड और ट्रैन्ड हो जाता है। उसके बाद मां-बाप उसके लिए एक सूट और सिलवाते हैं कि अब यह दफ्तर जाएगा, इसको रोजगार मिलेगा। उसके बाद वह अपने सर्टिफिकेट लेकर दफ्तरों के चक्कर काटना शुरू करता है। एप्लीकेशन और फोटो कापियों का ढेर लगा देता है। सरकार की इतनी स्कीम्स हैं कि उनकी एप्लीकेशन्स बना-बनाकर उसकी इंतिहा हो जाती हैं। यदि आप स्कीम्स को देखें तो आईआरडीपी, ट्राईसम, सिट्रा, एसजीआरवाई, एनआरईपी,

आरएलईजीपी, जेआरवाई, एनएफ, एफडब्ल्यूपी और नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारण्टी एक्ट है। वह सभी स्कीम्स में एप्लाई करता है क्योंकि वह सोचता है कि कोई न कोई स्कीम तो उसके काम आएगी। जब वह शाम को लौटता है और मां खाना देती है तो उसकी तरफ मुंह नहीं करती है, प्लैट को सरका देती है, चाहे वह खा ले, चाहे कुत्ता खा ले। वह बच्चा जो उसके जिगर का टुकड़ा था, जो उसकी जान थी, जिसके लिए तरसती और रोती थी, वही मां उससे मुंह फेर लेती है और कहती है कि तू आवारा है, लोफर है, नालायक है, गलत है। सभी इलजाम उस नौजवान पर आते हैं। इसके बाद जवानी भटकना शुरू हो जाती है। यहां शराबी, नशेड़ी और एक्सपलाइटर्स हैं, जो उसको अपने जाल में फंसाते हैं। नौकरी लेते-लेते, वह थानों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। हम कहते हैं कि यह क्रिमिनल है, बदमाश है, गुण्डा है। लेकिन उसे किसने बनाया? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आप लोग सिन्सियर एफर्ट्स करके ईमानदारी से चीजों को लागू नहीं करवाएंगे, तब तक कुछ नहीं होगा[r86]। इससे कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि यह महज़ किताबों में बड़ा खूबसूरती से लिखा जाता है। जो भी सरकार आयेगी, मेरी आये, पहली आये या कोई भी आये, वह अपने नाम पर स्कीमें बना बनाकर पेश करती है और सोचती है कि हमने यह दिया। लेकिन दिया क्या? You see the young men, young Engineers, Doctors, Computer Engineers, ICWA graduates, the agricultural trade, the ITI people, etc. बच्चे ने बड़ी ट्रेनिंग ली है, यह उनकी जो वोकेशनल और प्रोफेशनल एजुकेशन है। दूसरी तरफ हमारे देश की जो रही एजुकेशन है, उसका तो हाल ही मत पूछो। हमारे यहां एजुकेशन 3-4 किस्म की है। स्टेट बोर्ड अलग से पढ़ाता है, सी.बी.एस.ई. अलग से पढ़ाता है, एक लग्जरी एजुकेशन है और एक कम्पीटीशन है। बच्चा परेशान है, फ्रस्ट्रेशन में है, मुश्किल में है, क्योंकि मुकाबले में एक बच्चे को स्कूल में न चाक मिला, न टाट मिला, न टीचर मिला, न स्टाफ मिला और एक बच्चा, जिसके मां-बाप परिपक्व थे, इन्फ्लुंशियल थे, पैसे वाले थे, उन्होंने उसको उस जगह पढ़ाया, जिस जगह सब कुछ था और कम्पीटीशन में आपने तीनों को एक जगह खड़ा कर दिया। मुझे बताओ, आपके सिस्टम में जब बुनियादी चीजें आप ठीक नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए You must change the education system. यह जो वोकेशनल ड्रामेबाजी है, इसको खत्म करने की जरूरत है, मैं यह कहना चाहता हूं।

मेरा आपसे सबमिशन है कि पढ़ा-लिखा नौजवान जब मैट्रिक में पढ़ता है, नाइंथ में पढ़ता है, उससे लोग पूछते हैं तो वह कहता है कि I become this and I become that. वह कभी नहीं कहता कि मैं चपरासी लगूंगा, कभी नहीं कहता कि मैं बेरोजगार रहूंगा, कभी वह कहता है कि डाक्टर बनूंगा, कभी इंजीनियर बनूंगा, कभी पायलट बनूंगा, बहुत चीजें लिखता है, लेकिन अल्टीमेटली उसकी एड़ी की जगह चप्पल टूटी हुई मिलती है, क्योंकि मां-बाप के पास भी पैसे खत्म हो गये, मां-बाप गरीब हैं, मां-बाप मुफलिस हैं, मां-बाप उसको एजुकेशन देते-देते कमजोर हो गये होते हैं। मैं पूछता हूं कि उस बच्चे का अंजाम क्या है? मैं यह कहना चाहता हूं कि अल्टीमेटली वह फोर्थ क्लास में भी इण्टरव्यू देता है। उसकी क्वालिफिकेशन एम.एससी., पी.एचडी. और एम.िफल. है। एक बच्चा आठवीं पास वाला भी उसी लाइन में खड़ा होता है, 10+2 वाला भी उसी लाइन में खड़ा होता है और वह भी उसी लाइन में खड़ा होता है कि मुझे एम्पलायमेंट चाहिए, मैं भूखा हूं। जब वह पढ़ता था तो उसके चेहरे पर रौनक थी, खूबसूरती थी, उसके बाल भी ठीक थे, उसका मुंह भी ठीक था, कपड़े भी ठीक थे। उस समय जब दो-चार साल की बेरोजगारी आती है तो उसके बाद उस बेरोजगार बच्चे की हर चीज फटीचर हो जाती है। उस समय नये-नये बच्चे बाहर आते हैं, उसका कम्पीटीशन फिर उनसे होता है, जब इण्टरव्यू रूम से पहला बच्चा बाहर आता है तो वह उससे पूछता है, फिर अगला वाला बच्चा आ गया, उनके नम्बर बढ़ गये, उनकी परसेंटेज बढ़ गई, उनकी डिग्री समाप्त हो गई, उसकी डिग्री बूढ़ी हो गई। मैं यह पूछना चाहता हूं, You must see the practical side of it. लोक सभा के लोग प्रैक्टीकल लोग होते हैं। They know well. We belong to grassroots. We are seeing the ground reality. लेकिन क्या हम यहां बैठकर अपने बच्चों के साथ इन्साफ नहीं करते? मैं कहता हूं कि इससे बड़ा गुनाह हमें लगना है। We are the culprits of the society. We are here. We are representing the country. We are representing the young men in India. हिन्दुस्तान यंग है, सबसे यूथ है, Youth comprises more than 70 per cent population of India और यूथ की पोजीशन You see personally. You are a very nice, very simple Minister. We have every hope on you. हमें आपसे बड़ी उम्मीदें हैं और ये मौके बार-बार नहीं आते। यह मौका है, आप मौके को इस्तेमाल कीजिए। ये सर्विसेज़ देने का मौका, जो हमें मिला है, यह सर्विस का मौका लोगों ने हमें दिया है और आपको ज्यादा मिल गया है, क्योंकि आप मिनिस्टर हैं और मिनिस्टर की जिम्मेदारी है कि हमारे इन बच्चों का, हमारे बेरोजगारों का कोई प्रैक्टीकल हल ढूंढें।[R87]

कहानियां, किस्से, थ्योरी जब पढ़ो, तब ऐसा लगता है। जब कोई बच्चा इंडस्ट्री या किसी डिपार्टमेंट मे चला जाता है, तो इंडस्ट्री मैनेजर उसे कहानियां सुनाता है। वह पूछता है बताओ तुम्हें कौन सी फैक्टरी लगानी है? वह उसे ख्वाब दिखाता है, टेलीफोन दिखाता है, गाड़ी दिखाता है, उसकी बड़ी लंबी-चौड़ी कहानी होती है, उसका एक दफ्तर होता है और यही उसका सपना होता है। उसके बाद जब वह फार्मेलिटीज के बारे में बताता है, तो फार्मेलिटी करते-करते उसकी कमर टूट जाती है। उस इंडस्ट्री वाले के पास यह पावर ही नहीं है कि वह फाइनेंशियल हेल्प करे, वह उल्टा एक्सपेक्ट करता है। मैनेजर बैठे होते हैं, कोई क्रेडिट मैनेजर है, कोई टेक्निकल मैनेजर है, कोई नत्थू मैनेजर, मैनेजर ही मैनेजर हैं। मैनेजर कहता है कि चलो मैं तुम्हें मिशनरी खद्दर दिखाउंगा या चलो मैं तुम्हें फलां चीज दिखाउंगा। सभी लोग उस यंग मैन का इस्तेमाल नहीं, बल्कि मिसयूज करते हैं। मेरी सबमिशन है कि Directive Principles of State Policy में यह चीज बुजुर्गों ने रखी हैं, उन्होंने हमें बताया कि ध्यान रखना, कल उसे आपको फंडामेंटल राइट में मिलाना पड़ेगा। आपको एक्शन जमीन पर लाना पड़ेगा। आप रोजगार क्यों नहीं देंगे? आप इसके लिए रिस्पांसिबल है। अपनी रिस्पांसिबिलिटी से कैसे पीछे हटा जा सकता हैं? अब मुझे कोई मेरी जम्मू-कश्मीर कांस्टीच्युंसी में कहेगा कि लाल सिंह जी, हमारा यह काम कराइए, तब अगर मैं कहूंगा कि इधर यह होता ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि मैं ड्रामे में आया हूं, यहां कोई सैर करने वाला माहौल नहीं है। यह तो प्रैक्टिकल फील्ड है। मेरा सबमिशन है कि यहां के जो ब्यूरोक्रैट्स हैं, उन्होंने हमसे पूछकर बहुत अच्छा प्लान बनाया है। पार्लियामेंटेरियन से पूछो कि रोजगार कैसे चलेगा? हम बतायेंगे कि रोजगार कैसे मिलेगा? जब हम हवा में बैठकर प्लान बनाएंगे, तो प्लान हवा में ही उड़ता रहेगा, वह जमीन पर नहीं आएगा। हमें मंत्री जी से बहुत उम्मीद है और हम आशा करेंगे कि वे बेरोजगारों का पूरा ध्यान रखें। अभी वैष्णो देवी वाले मामले पर जो ध्यान देना था, वह रह गया है। यह अगली बार आएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मोहन सिंह जी के विधेयक का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद,

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल) : महोदय, मोहन सिंह जी द्वारा संविधान संशोधन विधेयक, 2004, नए अनुच्छेद 16 (क) के अंतःस्थापन पर जो चर्चा हो रही है, उस पर मैं बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी आपने एक नौजवान, नवयुवक के जज्बात को देखा। यह बात सत्य है कि आजादी के 60 वर्ष के बाद और 21वीं सदी में हम देख रहे हैं कि भारतवर्ष विकास करे, खुशहाल बने। इस विधेयक के माध्यम से मुझे स्वर्गीय राजीव गांधी की याद आती है, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने वोट देने के अधिकार की आयु को 18 वर्ष किया था। आज इस अनुच्छेद विधेयक 16 (क) में आदरणीय मोहन सिंह जी ने बड़े विस्तार से, सारगर्भित विचार रखे हैं। 18 वर्ष की आयु में आपने वोट आफ राइट दिया है, उसी 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने वाले जो हमारे नवयुवक हैं, उनको रोजगार देने की बात हो रही है। अभी

इसके पहले चंद्रकांत खैरे जी का जो विधेयक था, वह बेरोजगारी पर था, इसमें केवल रोजगार देने की बात है।

सभापति महोदय : शैलेन्द्र कुमार जी, आप अपना भाषण आगे कर सकेंगे। [c88]

18.00 hrs.

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up matters of urgent public importance.